तारीख हुक्म	
9/2/26	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते इन्तजार रिपोर्ट (TDR) आगामी दिनांक 16/2/26 को पेश हो।
16/2/26	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते इन्तजार रिपोर्ट (TDR) आगामी दिनांक 9/3/26 को पेश हो।
9/3/26	पत्रावली पेश हु[illegible] पक्ष वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. [illegible] दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 23/3/26 को वास्ते T.R. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
23/3/26	पत्रावली पेश हुई तहसीलदार बिजौलियां से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे संलग्न पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते निर्णय/बहस आगामी दिनांक 6/4/26 को पेश हो।
6/4/26	पत्रावली पेश हुई तहसीलदार बिजौलियां की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। परिवार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली को गुणावगुण व मेरिट के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 199/2025

दायर तारीख 21.11.2025

अनवान

1. भंवरलाल पिता केसरीमल महाजन जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी माल का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. शान्तिलाल पिता केसरीमल महाजन जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी माल का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... विपक्षी

उपस्थित :– श्री विटल तिवाड़ी. – अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131– 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

दिनांक 06/04/2026

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री विटल तिवाड़ी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 131– 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** के तहत विरूद्ध विपक्षी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की मौजा ग्राम धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलियां में स्थित वर्तमान खाता संख्या 404 हैं उक्त खाते में वर्णित आराजीयात निम्न हैं आ0नं0 1176/7, 1181/20, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 कुल किता 14 एवं कुल रकबा 12.1000 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। उपरोक्त वर्णित खाते के आराजी संख्या 1181/20 है जिसका रकबा वर्तमान मे 0.3561 है0 हैं एवं पूर्व की जमाबन्दीयों में 02 बीघा व 04 बिस्वा हैं जो बराबर का नाप हैं उक्त भूमि के रकबे का कोई विवाद नहीं है परन्तु भूमि के वर्तमान नक्शे (ऑन लाईन) में आराजी संख्या 1181/20 के बजाय सेवन से 1161/20 अंकित हो गया है जो गलत हैं। अतः उक्त वर्णित आराजी **भूमि के** (ऑन लाईन) **नक्शे में** आराजी नम्बर 1161/20 के स्थान पर **आराजी नम्बर 1181/20** राजस्व नक्शा में दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रकरण में इस न्यायालय के पत्रांक/रीडर/2026/347 दिनांक 02.02.2026 द्वारा तहसीलदार बिजौलियां को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया।

निरन्तर पेज संख्या 02 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

तहसीलदार बिजौलियां के पत्रांक/राजस्व/2026/292 दिनांक 05.03.2026 से रिपोर्ट प्राप्त हुयी जो शामिल पत्रावली हैं।

तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि भू०अ०नि० बिजौलियां कला एवं पटवारी हल्का माल का खेडा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम माल का खेड़ा के प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी व तथ्यो के अवलोकन पर जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा सहवन से आराजीयात का गलत अंकन कर दिया है। प्रार्थी 1161/20 के स्थगन पर 1181/20 शुद्ध कराना चाहता है, जबकि 1181/20 सेटलमेन्ट के नम्बर है एवं उसके समीप लगते हुए आ०नं0 20 आ रहा है। जिसमे लाल स्याही से तरमीम की जाकर आ0नं0 20 के दो हिस्से कर आ०नं० 20 व 1161/20 अंकित किया हुआ है। प्रार्थी को समझाईश की गई प्रार्थी ने पुनः आवेदन में संशोधन कर संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया है। अतः रिपोर्ट सलंग्न की जो शामिल पत्रावली हैं।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दस्तावेज के साथ नकल जमाबन्दी ग्राम धनवाड़ा प0ह0 माल का खेड़ा सम्वत् 2070 से 2073, नक्शा ट्रेस, की प्रति संलग्न की है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में प्रार्थी 1161/20 के स्थगन पर 1181/20 शुद्ध कराना चाहता है, जबकि आ0नं0 1181/20 सेटलमेन्ट के नम्बर है एवं उसके समीप लगते हुए आ०नं0 20 आ रहा है। जिसमे लाल स्याही से तरमीम की जाकर आ0नं0 20 के दो हिस्से कर आ०नं० 20 व 1161/20 अंकित किया हुआ है। पैरोकार सरकार ने प्रार्थी को संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवगत कराया हैं। अतः उक्तानुसार ऑनलाईन नक्शे में दुरूस्ती किया जाना उचित नहीं है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना एवं पैरोकार सरकार के जवाब पर मनन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर अस्वीकार किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

अतः मौजा ग्राम धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलियां स्थित आ0नं0 1161/20 के स्थान पर आ0नं0 1181/20 शुद्ध किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अन्तर्गत **धारा 131–136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अस्वीकार किया** जाता हैं।

आदेश आज दिनांक 06/04/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां